

सहमति पत्र

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा गैस पाइपलाइन डालने हेतु उ0प्र0 शासनादेश संख्या जी0आई0 100(1)14-22005-61/2000 दिनांक 23 फरवरी 2006 एवं भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या एफ.एल.-11-268/2014-एफ.सी. दिनांक 11.07.2014 के निर्देशों के अनुरूप सशर्त निम्न प्रतिबन्धों पर सहमति दी जाती है।

1. कार्य के दौरान किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।
2. गैस पाइपलाइन मार्गों/सड़कों/ वर्तमान अधिकाधिकार में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाई जायेगी।
3. गैस पाइपलाइन डालने के लिए खोदे जाने वाली ट्रन्च-HDD तकनीकी द्वारा किया जाना है विवरण संलग्न पृष्ठ (79-83) पर है।
4. भूमि उपयोग के बाद उसको मूल रूप में लाने एवं वन व पर्यावरण को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति का उत्तरदायित्व इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का होगा।
5. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा अनुरक्षण कार्यों के लिए विभाग से पूर्व अनुमति नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
6. वन विभाग के उच्च अधिकारियों एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजकीय हित में लिया गया निर्णय स्वीकार होगा।


 82/03/21
 (दीप्ता अग्रवारी)
 प्रभारी वन अधिकारी
 हापुड़ वन प्रभाग
 हापुड़


AJAI TYAGI
 Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
 "IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,
 COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
 NEW DELHI-110 022